

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

पत्र संख्या: 583 /सम्पत्ति/म0वृ0वि0प्रा0/2011-12

दिनांक 2/6/11

आवंटन पत्र

सेवा में,

के0एम0एफ0 बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लि0,
द्वारा श्री सुरिन्द्र कुमार चड्ढा (डायरेक्टर),
पता-1003, विक्रम टावर, राजेन्द्र पैलेस,
नई दिल्ली-110008

विषय:- रूकमणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जीएच-02 का नीलामी द्वारा आवंटन ।

महोदय,

अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि रूकमणी विहार आवासीय योजना में दिनांक 30.05.11 को नीलामी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जीएच-02 क्षेत्रफल लगभग 4047 वर्ग मी0 को उच्चतम बोली रू0 14250/- प्रति वर्ग मी0 की दर पर निम्न शर्तों के साथ आपको आवंटन की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई है ।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का अनुमानित कुल मूल्य रू0 5,76,69,750/- की 10 प्रतिशत धनराशि के विरुद्ध जमा की गई धनराशि रू0 57,67,005/- को समायोजित करते हुए शेष धनराशि रू0 5,19,02,745/- तथा 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्जेज रू0 69,20,370/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 5,88,23,115/- को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा जमा धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा समय से धनराशि जमा न करने की दशा में दण्ड व्याज 3.00 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा । अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि रू0 5,19,02,745/- की 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित छ छमाही किस्तों का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	DATE	PRINCIPAL	INTEREST	INSTALMENT
1	01-11-2011	7417525.00	3179043.00	10596568.00
2	01-05-2012	1895201.00	2724720.00	4619921.00
3	01-11-2012	2011282.00	2608639.00	4619921.00
4	01-05-2013	2134473.00	2485448.00	4619921.00
5	01-11-2013	2265210.00	2354711.00	4619921.00
6	01-05-2014	2403954.00	2215967.00	4619921.00

निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है ।

- 1- भूखण्ड का प्रयोग ग्रुप हाउसिंग होगा तथा निर्माण नियमानुसार मानचित्र पास कराकर करना होगा ।
- 2- भूखण्ड पर बिजली पानी का कनेक्शन आवंटी को स्वयं के व्यय पर अपने नाम से लेना होगा ।
- 3- भूखण्ड पर विक्रय विलेख/अनुबन्ध के दिनांक से शासनादेशानुसार अधिकतम पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं भवन के प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
- 4- आवंटी को स्थानीय कर एवं प्राधिकरण/शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क स्वयं देने होंगे ।
- 5- कब्जा दिये जाने के समय/विक्रय विलेख के समय भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर आने पर तदनुसार अधिकतम बोली मूल्य के अनुसार धनराशि एवं फ्रीहोल्ड शुल्क जमा कराना होगा ।
- 6- भूखण्ड मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि एवं 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्जेज जमा होने के उपरान्त भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के निर्धारित स्टाम्प लगाते हुए अनुबन्ध करा लेने के पश्चात् भूखण्ड पर कब्जा लिया जा सकेगा । समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा ।
- 7- भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जा सकता है । भूखण्ड का उपविभाजन मान्य नहीं होगा ।
- 8- सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया जा सकेगा ।
- 9- यदि किसी एल0ए0 वाद में किसी न्यायालय द्वारा मुआवजे में बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह धनराशि आनुपातिक रूप से आवंटी को देनी होगी ।
- 10- विक्रय विलेख/अनुबन्ध पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय आवंटी को देना होगा ।
- 11- कब्जे की तिथि से नगर पालिका को कालोनी हस्तान्तरण होने तक आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार रख-रखाव शुल्क देना होगा । तदोपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा रख-रखाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा ।

सचिव

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

मथुरा ।